(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REV.-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

No. F.12(6)/Fin(Rev.-I)/2010 11/ Dated

NOTIFICATION

No. F.12(6)/Fin(Rev.-I)/2010-11/ - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2010 (Delhi Act 11 of 2010), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 20th day of September, 2010, as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(ARVIND JAIN)
DEPUTY SECRETARY-II (FINANCE)

No. F.12(6)/Fin(Rev.-I)/2010-11/DS II/257 Dated 17-9-10

Copy forwarded to: -

1. The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi (in duplicate with Hindi version) with the request to publish the order in the Delhi Gazette part-IV extraordinary in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of National Capital Territory of Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The P.A. to the Leader of Opposition,29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi
6. The Commissioner, Excise, Entertainment and Luxury Tax Department, New Delhi.
7. The Special Secretary (Law), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
9. Guard File.
10. Website.

(ARVIND JAIN)
DEPUTY SECRETARY-II (FINANCE)
Phone: 23392472

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
चौथा तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–02.

सं0फा0 12(06)/वित्त (राजस्व–1)/2010–11/ दिनांकः

अधिसूचना

सं0फा0 12(06)/वित्त (राजस्व–1)/2010–11/ :– दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा वर्ष 2010 के सितम्बर माह के बीसवें दिन को नियत करते हैं यह वह तिथि हैं, जिस तिथि से उक्त अधिनियम प्रभावी होगा

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(अरविन्द जैन)
उप– सचिव–II (वित्त)

सं0फा0 12(06)/वित्त (राजस्व–1)/2010–11/5/वित्त-II/257 दिनांकः 17-9-10
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राज निवास, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. सचिव, वित मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. नि0सं0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
6. आयुक्त, आबकारी,मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
7. विशेष सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. गार्ड फाईल।
10. वेबसाईट।

(अरविन्द जैन)
उप– सचिव–II (वित्त)
दूरभाष संख्याः 23392472

87/L

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(12)/LA-2010/lclaw/323 Dated 10th the September, 2010

NOTIFICATION

No.F.14(12)/LA-2010/lclaw/ 323 .- The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 8th September, 2010 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI TAX ON LUXURIES (AMENDMENT) ACT, 2010
(DELHI ACT 11 OF 2010)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 23rd August, 2010)

[8th September, 2010]

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2010.
(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of section 2.

2. In the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996), in clause (i) of section 2, for the words " five hundred" occurring after the words "extra beds and the like, is" and before the word " rupees", the words " one thousand" shall be substituted.

DVS

S Rao

(Savita Rao)
Special Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र के भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फ़ा0 14/(12)/एल ? 2010/एलसीलॉ/323 दिनांक 10 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

संख्या फा0 14/(12)/एल ? 2010/एलसीलॉ/323 •– उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 8 सितम्बर,, 2010 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2010
(2010 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2010 को यथपारित)

(8 सितम्बर, 2010)

दिल्ली विलसिता कर अधिनियम, 1996 का पुनः संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ । 1.( ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है ।

3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा ।

धारा 2 का संशोधन । 2. दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियचम 10)की धारा 2 के खंड (i) में "अतिरिक्त बिस्तरों तथा इसी प्रकार" शब्दों के पश्चात् तथा "रूपये" शब्द से पूर्व आने वाले शब्द "पाँच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।"

सविता राव

(सविता राव)
विशेष सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)